



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp


Signature [Signature]
Acc Name- Kuldeep Saxena
Acc Code- U.P.14114104
Acc Address- Teh. Chhibramau
Distt Kannauj, Mob- 9452391152
License No- C19

Certificate No. : IN-UP31634767289555U
Certificate Issued Date : 01-Jul-2022 01:57 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14114104/ KANNAUJ/ UP-KNJ
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1411410455203966523295U
Purchased by : AJAY PAL SINGH YADAV
Description of Document : Article 35 Lease
Property Description : LAND SITUATED AT TALGRAM DEHAT PARGANA TALGRAM TEHSIL CHHIBRAMAU DISTT KANNAUJ
Consideration Price (Rs.) : 72,000 (Seventy Two Thousand only)
First Party : AJAY PAL SINGH YADAV
Second Party : AJAY PAL SINGH YADAV
Stamp Duty Paid By : AJAY PAL SINGH YADAV
Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,600 (One Thousand Six Hundred only)



Please write or type below this line

[Signature]



[Signature]

0008304628

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP31380474675172U
 Certificate Issued Date : 01-Jul-2022 12:13 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14158004/ CHHIBRAMAU/ UP-KNJ
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1415800454688721427569U
 Purchased by : AJAY PAL SINGH YADAV
 Description of Document : Article 35 Lease
 Property Description : LAND SITUATED AT TALGRAM DEHAT PARGANA TALGRAM
 TEHSIL CHHIBRAMAU DIST KANNAUJ
 Consideration Price (Rs.) : 72,000
 (Seventy Two Thousand only)
 First Party : AJAY PAL SINGH YADAV
 Second Party : AJAY PAL SINGH YADAV
 Stamp Duty Paid By : AJAY PAL SINGH YADAV
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,600
 (One Thousand Six Hundred only)



Handwritten signature

Sanjesh Kumar Yadav
 Stamp Vendor
 License Number-1142
 E-Stamping Acc ID: UP31158004
 Servo-CHHIBRAMAU Dist-KANNAUJ
 www.uptax.gov.in

Handwritten signature

Handwritten signature





0008346667



लेखपत्र का संक्षिप्त - विवरण

(लीज डीड)




लीजडीड वार्षिक 12,000/- नियमानुसार 6 गुना लीजडीड 72,000/- स्टाम्प दर 4 प्रतिशत


कुल स्टाम्प 1600/41600=3200/- समय 30 वर्ष मौजा - तालग्राम देहात परगना - तालग्राम

हम कि एस0जी0आर0 महाविधालय यदुवंश नगर तालग्राम द्वारा प्रबन्धक / सचिव अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन फूस बंगला फतेहगढ़ फर्सखाबाद प्रथम पक्ष मालिक जायदाद लीज पर देने वाले मोबाइल नं0 - 9415167660 आधार कार्ड नं0 - 595221821576 व एस0जी0आर0 महाविधालय समिति ग्राम यदुवंश नगर तालग्राम पोस्ट तालग्राम जनपद कन्नौज द्वारा प्रबन्धक / सचिव अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन फूस बंगला फतेहगढ़ फर्सखाबाद द्वितीय पक्ष लीज पर लेने वाले विदित हो कि दो किता आराजी 8100 वर्गमीटर खाता सं0 00325 गाटा सं0 2882घ रकवा 0.4050 व खाता सं0 00326 गाटा सं0 2882झ/0.4050 स्थित मौजा तालग्राम परगना तालग्राम तहसील छिवरामऊ जनपद कन्नौज जिसका प्रथम पक्ष मालिक व काविज व दखील है ।

अजय पाल सिंह



अजय पाल सिंह



(2) 3

चूंकि उपरोक्त लिखी भूमि एवं भवन और खाली जगह मुझ प्रथम पक्ष की किसी प्रयोग में नहीं आ रही है और द्वितीय पक्ष उपरोक्त लिखी जगह व भवन व खाली जगह को लीज पर लेने को तैयार है इस कारण हम दोनों पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत पाबन्द होते हुए यह लीज डीड तहरीर करते है और लिख देते है कि लीज डीड की प्रत्येक शर्त पाबन्दी हम दोनों पक्ष तथा हमारे वारिसान पर अनिवार्य लागू होगी सरायत इस प्रकार है कि 1- यह कि मुझ प्रथम पक्ष ने उपरोक्त लिखी जगह व भवन व खाली जगह स्थित मौजा तालग्राम परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज ।










(4)

को द्वितीय पक्ष को दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2052 के लिए यानि 30 (तीस) वर्ष तक के लिए लीज पर देने का अनुबन्ध किया है । और बाबत लीज शुदा कब्जा व दखल जगह पर द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से प्राप्त कर लिया है । 2- यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त लिखी जगह व भवन व खाली जगह पर लीज दिनांक से 30 वर्ष तक पूर्णतया अधिकार रहेगा । 3- यह द्वितीय पक्ष एस0जी0आर0 महाविधालय समिति ग्राम यदुवंश नगर तालग्राम पोस्ट तालग्राम जनपद कन्नौज द्वारा प्रबन्धक / सचिव अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन फूस बंगला फतेहगढ़ फर्रुखाबाद चलाने की समस्त कार्यवाही पूरी कर शैक्षणिक संस्थान से सम्बन्धित लीज शुदा जगह को शैक्षणिक संस्थान के कार्यो मे ही प्रयोग कर सकेगा ।








बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6975

वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त पट्टा दाता: 1

श्री ए०जी०आर० महाविद्यालय यदुवंश नगर तालग्राम के द्वारा अजय पाल सिंह, पुत्र श्री रविनाथ सिंह
निवासी: निवासी सिविल लाइन फूस वंगला फतेहगढ़ फर्रुखाबाद
व्यवसाय: कृषि
पट्टा गृहीता: 1




श्री एस०जी०आर० महाविद्यालय समिति ग्राम यदुवंश नगर तालग्राम के द्वारा अजय पाल सिंह, पुत्र श्री रविनाथ सिंह
निवासी: निवासी सिविल लाइन फूस वंगला फतेहगढ़ फर्रुखाबाद
व्यवसाय: कृषि



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री राजपाल सिंह, पुत्र श्री यदुनाथ सिंह
निवासी: तहसील परिसर तह० छि० कन्नोज
व्यवसाय: वकालत
पहचानकर्ता: 2



श्री सामोद सिंह यादव, पुत्र श्री लंकुश सिंह यादव
निवासी: तहसील परिसर तह० छि० कन्नोज
व्यवसाय: कृषि



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

अमित कुमार मिश्रा प्रभारी
उप निबंधक : छिबरामऊ
कन्नोज
01/07/2022

महेन्द्र सिंह कठेरिया
निबंधक लिपिक कन्नोज
01/07/2022

(5)

4 - यह कि द्वितीय पक्ष लीज शुदा जगह पर अपनी सुविधा अनुसार स्थाई व अस्थाई निर्माण कर सकेगा जिसमे प्रथम पक्ष की रजामंदी की आवश्यकता नही होगी। 5- यह कि लीज करार / लीज की अवधि 30 वर्ष से पूर्व नही समाप्त होगी। 6- यह कि लीज की अवधि सीमा समाप्त होने के उपरान्त द्वितीय पक्ष को उपरोक्त लिखी जगह व भवन व खाली जगह खाली कर प्रथम पक्ष को कब्जा दखल सौप देगा और न ही किसी अन्य प्रकार की कोई दावेदारी करेगा और यदि करेगा तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह जरिए अदालत लीजशुदा भूमि खाली करा लेवे जिसके समस्त हर्जे खर्चे को देने का मुस्तहिक द्वितीय पक्ष होगा। 7- यह कि द्वितीय पक्ष यदि व्यवसाय करने हेतु किसी संस्था या साहूकार या बैंक आदि से कर्ज लेता तो उसकी सारी जिम्मेदारी कर्ज लेने वाली की ही होगी एवं साहूकार का लीजशुदा जायदाद से कोई सरोकार नही होगा यदि साहूकार या बैंक लीजशुदा जायदाद पर कब्जा करते है ।








(6)

तो उसे अवैध समझा जावेगा यह भी विदित रहे कि प्रबन्धक अजय पाल सिंह यादव को प्रबन्धक समिति के समस्त सदस्य की बैठक द्वारा लीज एंव सभी कार्य करने के लिए चुना गया है अतः हम दोनो पक्षो ने खूब सोच समझकर स्थिर बुद्धि की पूर्ण सचेत दशा में यह लीज डीड लिख दिया प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। लीज डीड मे चस्पा फोटो प्रमाणित श्री सामोद सिंह यादव एडवोकेट ने की है।

अजय पाल सिंह




अजय पाल सिंह




(7)

गवाह न0 - 1 राजपाल सिंह यादव पुत्र यदुनाथ सिंह यादव

निवासी तहसील परिसर तहसील छिबरामऊ 

जनपद कन्नौज।

गवाह नं0 - 2 सामोद सिंह यादव पुत्र श्री लंकुश सिंह यादव


निवासी तहसील परिसर तहसील छिबरामऊ 

जनपद कन्नौज।

ड्राफ्टकर्ता - श्री सामोद सिंह यादव एडवोकेट तहसील छिबरामऊ

तहरीर - दिनांक 01.07.2022










आवेदन सं०: 202200833008328

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 8063 के पृष्ठ 45 से 60 तक क्रमांक
6975 पर दिनांक 01/07/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



अमित कुमार मिश्रा प्रभारी

उप निबंधक : छिबरामऊ

कन्नौज

01/07/2022

